



NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES (BSNL)
नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉईज (बी.एस.एन.एल.)
मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

रजि.नं.4906

पत्राचार पता : 2/97, पी एण्ड टी कॉलोनी, वैरिथिया रोड, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष : 0755-2740888

हवीब खान
परिमंडल सचिव
मो. 9425015786

ए.के.मिश्रा
परिमंडल अध्यक्ष
मो. 9425868100

क्रमांक **NFE-17-18/18**

दिनांक :

प्रति,

27.12.2018

डॉ. महेश शुक्ला जी,
मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार
म.प्र., भोपाल।

विषय:- चर्चा हेतु एजेण्डा प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

समस्याओं पर चर्चा करने हेतु एजेण्डा बिन्दुवार आपकी ओर प्रेषित है:-

1. एफ.टी.टी.एच. में SLA राजस्व शिफ्टिंग सिस्टम में किये जाने बाबत:-
जब विभागीय कर्मचारी और स्टाफ द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो राजस्व शिफ्टिंग सिस्टम बंद किया जाये।
2. म.प्र. के सभी एस.एस.ए. में 5 वर्ष से पुरानी बैट्टीयों को स्क्रेप किया गया है 200 एवं 600 की बैट्टीयों की ग्रामीण एवं शहरी की जानकारी दी जाये एवं कितने एस.एस.ए. में नवीन बैट्टीयां लगाई गई है उनकी भी जानकारी प्रदान की जाये।
3. सभी यू.एस.ओ. में बी.टी.एस. की देखरेख के संबंध में :-
(अ) जहां-जहां यू.एस.ओ. बी.टी.एस. उनकी देखभाल के लिए किस एजेंसी से कार्य कराया जा रहा है, उनके द्वारा रखे गये लेबरों के पहचान पत्र व ई.पी.एफ. की कटौती की जा रही है तो उसकी जानकारी से अवगत कराया जाये।
(ब) साथ में बी.टी.एस.ओ. में चोरी गई बैट्टीयां व केबिल आदि की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो एजेंसी द्वारा क्या कार्यवाही की गई, की जानकारी से अवगत करावें।
4. मेडिकल बिलों के संबंध में :-
(अ) परिमंडल कार्यालय में कुल कितने बिल लंबित हैं और कितने बिल स्वीकृत करके एस.एस.ए. को प्रेषित किये गये हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे।
(ब) श्री जगपाल टी.एम. रायसेन का आज दिनांक तक मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया गया है जबकि इस संबंध में यूनियन द्वारा वर्ष 2015 से आपके ध्यान में लाया जा रहा है।

निरन्तर..2..पर

(स) मेडिकल बिलों का भुगतान के संबंध में श्री रमेशचन्द्र श्रीवास ए.टी.टी. आगरा जिला शाजापुर एवं श्री पीरूलाल ए.टी.टी. आगरा जिला शाजापुर का भी मेडिकल बिल लंबित है, इसके संबंध में अवगत कराया जाये।

(द) श्री मयंक चतुर्वेदी, श्री संतोष मीना के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाये।

6. समस्त विभागीय कालोनी की पुताई, रोड मरम्मत करवाई जाये।

7. पैरा-8 के स्थानान्तरण एवं इंटर सर्किल स्थानान्तरण करवाये जाये।

8. विभागीय आदेश दिनांक 26.05.2017 के अनुसार जिनकी नौकरी दो वर्ष की हो गई है उनके कन्फरमेशन आदेश जारी कर दिये जाये, फिर भी प्रकरण लंबित है, जैसे भोपाल जिले के श्री एच.एस. शुक्ला जे.ई. का मामला लंबित है।

पिछले पत्र में दी गई समस्याओं के संबंध में भी चर्चा की जाना है, जैसे:-

(1) ग्वालियर एस.एस.ए. में दतिया क्वार्टर के संबंध में।


(2) इन्दौर एस.एस.ए. द्वारा किया गया गलत तरीके से ट्रांसफर के संबंध में।

(3) रीवा एस.एस.ए. की समस्याओं के संबंध में।

(4) सतना एस.एस.ए. की समस्याओं के संबंध में।

उपरोक्तानुसार समस्याओं के संबंध में एजेण्डा बिन्दुवार आपकी ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्याओं पर चर्चा के लिए समय देने का कष्ट करें।

भवदीय


(हबीब खान)

परिमण्डल सचिव

प्रतिलिपि-

1. सर्किल अध्यक्ष, एन.एफ.टी.ई., जबलपुर